कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय-आदेश

जिला पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी को जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रबंधन एवं कार्यशैली के विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जाँच के क्रम में यह पाया गया है कि विद्यालय परिसर में पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि संबंधित विद्यालय प्रबंधन दोषी है अथवा शिकायतकर्ता का दावा निराधार है। साक्ष्यों के अभाव की इस स्थिति का अनुचित लाभ अक्सर गलत कृत्य करने वालों को मिल जाता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया बाधित होती है। साथ ही, विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से विद्यालय परिसर में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था का होना अनिवार्य प्रतीत होता है।

अतः छात्र सुरक्षा एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु सभी निजी विद्यालय को निदेश दिया जाता है कि आगामी 07 (सात) दिनों के अंदर विद्यालय के सभी प्रवेश द्वारों, खेल के मैदान, कार्यालय एवं विशेष रूप से प्रत्येक वर्ग-कक्ष में उच्चतम गुणवत्तापूर्ण सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की स्पष्ट सुविधा होनी चाहिए ताकि किसी भी विवाद या शिकायत की स्थिति में साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी अभिभावकों को अनिवार्य रूप से एक आधिकारिक पहचान-पत्र निर्गत किया जाए। विद्यालय परिसर में किसी भी अज्ञात व्यक्तिया अनधिकृत बाहरी व्यक्ति को छात्र-छात्राओं से मिलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके पास वैध पहचान-पत्र न हो। सीसीटीवी फुटेज का उचित बैकअप (कम से कम 30 दिनों का) रखना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर जाँच टीम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी निजी विद्यालय इस पत्र का अनुपालन प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे।

विश्वासभाजन

6-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः- 885 हाजीपुर दिनांकः- 06/05/26

प्रतिलिपिः- प्राचार्य/संचालक/अध्यक्ष/सचिव, सभी निजी विद्यालय, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

6-5-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।